

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

-:: आदेश ::-

भोपाल दिनांक 04/07/2023

क्रमांक 978/493/2023/सत्रह/मेडि-एक :: मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2022 में संयुक्त संचालक (दंत स्वास्थ्य)/अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय/संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल/जिला स्वास्थ्य अधिकारी/जिला परिवार कल्याण अधिकारी/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी/ जिला टीकाकरण अधिकारी एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी (नियम प्रकाशन के पूर्व पदोन्नत एवं डी.एच.ओ. संवर्ग में सम्मिलित) के पद से वरिष्ठ संयुक्त संचालक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर चयन संबंधी प्रावधान किये गये है।

राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संयुक्त संचालक (दंत स्वास्थ्य)/अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय/संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल/जिला स्वास्थ्य अधिकारी/जिला परिवार कल्याण अधिकारी/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी/ जिला टीकाकरण अधिकारी एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी (नियम प्रकाशन के पूर्व पदोन्नत एवं डी.एच.ओ. संवर्ग में सम्मिलित) को वरिष्ठता सह योग्यता (Seniority cum Merit) के आधार पर वरिष्ठ संयुक्त संचालक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर वेतनमान छटवे वेतनमान में पी.बी. 4 (37400-67000)+8700 ग्रेड पे में चयन करते हुए, कॉलम-6 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है -

स. क्र.	दिनांक 01.04. 2022 की सूची में वरिष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम	चयन पूर्व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	चयन उपरांत पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	8	डॉ. टी.डी. भकोरिया	जिला टीकाकरण अधिकारी	जिला टीकाकरण कार्यालय एड्स नियंत्रण समिति भोपाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली
2	9	डॉ. कैलाश कल्याणे	जिला टीकाकरण अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलीराजपुर
3	10	डॉ. एच.एन. नायक	जिला टीकाकरण अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बुरहानपुर
4	17	डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर	जिला परिवार कल्याण अधिकारी	प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी



5	19	डॉ. श्रीमती नलिनी गौड	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	खण्ड	कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद	मुख्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल	वरिष्ठ संयुक्त संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल
6	23	डॉ. प्रभाकर तिवारी	जिला टीकाकरण अधिकारी		प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल	
7	24	डॉ. मोहन सिंह सिसोदिया	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	खण्ड	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर बडवानी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगोन	
8	26	डॉ. पूर्णिमा गाडरिया	जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी		कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर	वरिष्ठ संयुक्त संचालक कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इंदौर संभाग इंदौर
9	30	डॉ. गोविन्द सिंह चौहान	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	खण्ड	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनावर जिला धार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर	
10	34	डॉ. श्रीमती सरोजनी जेम्स बैक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	खण्ड	कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह	
11	35	डॉ. विष्णुलता उइके	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	खण्ड	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागली जिला देवास	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास	
12	39	डॉ. नरसिंह गहलौत	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	खण्ड	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निसरपुर धार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार	
13	41	डॉ. सुरेखा जमरे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	खण्ड	कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी	
14	42	डॉ. भूरे सिंह सैत्या	जिला स्वास्थ्य अधिकारी		प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर	
15	46	डॉ. किरण वाडीवा	जिला परिवार कल्याण अधिकारी		कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़	

16	49	डॉ. शोभाराम रौशन	जिला टीकाकरण अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य जिला सागर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़
----	----	---------------------	----------------------------	---	--

1. चयनित अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जाँच/ लोकायुक्त प्रकरण/ ई.ओ.डब्ल्यू/ अनाधिकृत अनुपस्थित/ अनुशासनात्मक कार्यवाही/ कारण बताओ नोटिस के प्रकरण विचाराधीन है तथा निलंबित है अथवा आदेश जारी होने की दिनांक के पूर्व से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुए उसकी सूचना तत्काल शासन एवं संचालनालय को भेजने हेतु संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
2. ऐसे अधिकारी जो सेवानिवृत्त, दिवंगत अथवा त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका हैं, उनका चयन प्रक्रिया में विचार नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार जारी आदेश में यदि ऐसे किसी अधिकारी का नाम अंकित है तो इसकी सूचना तत्काल शासन एवं संचालनालय को भेजने हेतु संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, ताकि उसका चयन आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही संपादित की जा सके।
3. चयनित ऐसे अधिकारी जो पूर्व से चार स्तरीय वेतनमान अंतर्गत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (चिकित्सक संवर्ग) में प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी के चयन की स्थिति में उन्हें पूर्व से प्राप्त वेतनमान को संरक्षित रखा जायेगा। सातवे वेतनमान में वेतन का निर्धारण किया जाकर संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से सत्यापन कराया जाय।
4. वरिष्ठ संयुक्त संचालक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर चयनित अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता, का निर्धारण प्रचलित नियमों एवं दिशा-निर्देशानुसार प्रथक से किया जावेगा।
5. जारी आदेश में वरिष्ठ संयुक्त संचालक/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर चयनित अधिकारियों को आदेश जारी होने के 15 दिवस की समयावधि में नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। कार्यभार ग्रहण करने की अवधि को बढ़ाने की अनुमति/ पदस्थापना परिवर्तन आवेदन प्रस्तुत कर कार्यग्रहण न करना मान्य नहीं होगा, तथा चयन आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा एवं पृथक से कोई चयन निरस्त आदेश जारी नहीं किये जावेंगे।
6. निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले चयनित अधिकारी, पूर्वानुसार मूल पद पर कार्यरत रहेंगे। तथा उन्हें आगामी एक बार की चयन प्रक्रिया से पृथक किया जावेगा।
7. नवीन पदस्थापना आदेश में अंकित संस्था में पूर्व से पदस्थ प्रभारी अधिकारी अपने पदानुरूप जिले में पदस्थ होकर कार्य संपादित करेंगे। संबंधित जिले में पद रिक्त न होने की स्थिति में शासन/संचालनालय को आवश्यक रूप से अवगत करावे।
8. चयनित अधिकारी की कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सूचना, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् अविलंब शासन/संचालनालय को उपलब्ध कराये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अवगत कराये जाने हेतु अग्रेषित।
3. निज सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
  2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
  4. प्रबंधक, म.प्र. पब्लिक हेल्थ ड्रग कार्पोरेशन अरेरा हिल्स भोपाल।
  5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम" भोपाल।
  6. संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान, सिटी सेन्टर, ग्वालियर।
  7. संचालक, गैस राहत, कमला नेहरू चिकित्सालय, भोपाल।
  8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
  9. अपर संचालक(वित्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
  10. अपर संचालक(विज्ञप्त), कार्यालय स्थापना/गोपनीय/लीगल, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
  11. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
  12. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
  13. समस्त संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
  14. समस्त अधीक्षक, सामान्य चिकित्सालय, मध्यप्रदेश।
  15. समस्त अधीक्षक, क्षय चिकित्सालय, मध्यप्रदेश।
  16. संचालक, मानसिक चिकित्सालय, ग्वालियर/इन्दौर, मध्यप्रदेश।
  17. अधीक्षक, पुलिस चिकित्सालय/पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/केन्द्रीय एवं जिला जेल, मध्यप्रदेश।
  18. समस्त कमाण्डेंट, विशेष सशस्त्र बल, मध्यप्रदेश।
  19. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
  20. समस्त संबंधित अधिकारियों की ओर पालनार्थ।
  21. प्रभारी, एम.आई.एस. सेल संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
  22. गार्ड फाईल /आदेश नस्ती।
- की और सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग